

अध्याय 5: छूटों की प्राप्ति

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 के अंतर्गत सरकार को साधारणतया या अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन छूट देने की शक्ति दी गई है, सेवा कर के समग्र या किसी भाग से किसी विशेष विवरण की करयोग्य सेवा उस पर उदग्रहणीय होगी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हमें छूटों की गलत प्राप्ति के 14 मामलों का पता चला जिसमें ₹ 17.81 करोड़ की राशि शामिल है।

कुछ निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:-

5.1 छूट की गलत प्राप्ति

5.1.1 20 जून 2012 की अधिसूचना के क्रम सं.13(क) के अनुसार जन साधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क यातायात के लिए सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल के निर्माण को सेवा कर से छूट दी गई है।

बैंगलुरु-1 (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स एल एण्ड डब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 के दौरान ₹ 131.57 करोड़ के मूल्य हेतु चेन्नई में प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप हब में पुलों, ओवरहेड टैंकों और जलाशयों के लिए डिजाइन तथा निर्माण कार्य करने के लिए मैसर्स एप्रीकोट रियल्टर्स प्रा.लि. कांचीपुरम के साथ करार किया है। छूट का दावा करने वाले निर्धारिती ने इस राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। चूंकि, निर्धारिती द्वारा किया गया कार्य जन साधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क परिवहन के लिए नहीं बल्कि औद्योगिक हब के लिए था इसलिए छूट की प्राप्ति गलत है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.50 करोड़ के सेवा कर का अनुदग्रहण हुआ।

हमने यह दर्शाया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.1.2 भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी में मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2010-11 और

2011-12 के दौरान ₹ 23.72 करोड़ की राशि हेतु पारादीप में आइओसी पारादीप ऑयल रिफाइनरी के अंदर सड़क के निर्माण हेतु मैसर्स गंगाधर जेना, मैसर्स निर्मल कु स्वेन, मैसर्स निरंजन खंतिया और मैसर्स आरकेडी कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. को निर्माण कार्य दिया। चूंकि, उपरोक्त चार निर्धारितियों द्वारा किया गया कार्य जनसाधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क यातायात के लिए नहीं था इसलिए ₹ 93.19 लाख का सेवा कर भुगतान हेतु देय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 93.19 लाख के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.1.3 कोयम्बटूर कमिश्नरी मैसर्स श्रीवत्स रियल इस्टेट्स प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 5.60 करोड़ की राशि हेतु कालापट्टी पर श्रीवत्स संकर रेडिडेंशल अपार्टमेंट कॉम्प्लैक्स में सड़क के निर्माण हेतु मैसर्स पी.ए. कन्स्ट्रक्शन्स को कार्य प्रदान किया था। चूंकि, मैसर्स पी.ए. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा किया गया कार्य जन साधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क परिवहन के लिए नहीं था इसलिए ₹ 27.69 लाख के सेवा कर का भुगतान देय था। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि मैसर्स पी.ए. कन्स्ट्रक्शन्स विभाग के पास पंजीकृत भी नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.69 लाख के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय से उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.2 छूट की अनुचित प्राप्ति

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(जेडजेडजेडजेडए) (1 जुलाई 2012 से पूर्व) के अनुसार निर्माण कार्य अनुबंध के संबंध में करयोग्य सेवा का तात्पर्य 'सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, यातायात टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों से संबंधित निर्माण कार्य अनुबंधों को छोड़कर निर्माण कार्य अनुबंध के

कार्यान्वयन के संबंध में अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवा से है।

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के क्रम सं. 12(क) के अनुसार मुख्यतः वाणिज्य के अलावा उपयोग हेतु किए गए निर्माण या किसी अन्य मौलिक निर्माण कार्य के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर के उदग्रहण से छूट दी गई है।

5.2.1 हैदराबाद-॥ कमिश्नरी में **मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने उनके विद्युत संयंत्रों के लिए निजी रेलवे साइडिंगों के निर्माण हेतु **मैसर्स जीएमआर** से सेवाओं की व्यवस्था के प्रति ₹ 29.92 करोड़ की राशि प्राप्त की थी किन्तु इस बहाने से ₹ 3.70 करोड़ की सेवा कर देयता का भुगतान नहीं किया कि यह कार्य रेलवे से संबंधित था। चूंकि, यह निर्माण कार्य निजी कम्पनी द्वारा अपने विद्युत संयंत्र के लिए किया गया था और रेलवे के लिए नहीं, इसलिए छूट की प्राप्ति गलत थी। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (अक्टूबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.2.2 सलेम कमिश्नरी में **मैसर्स रामालिंगम कन्स्ट्रक्शन्स (पी) लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने **मैसर्स तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि.** चेन्नई (टीएनएसआईडीसीओ) के लिए कार्पोरेट कार्यालय भवन का निर्माण किया था और 2010-11 तथा 2013-14 के बीच ₹ 33.44 करोड़ प्राप्त किए थे। हालांकि, निर्धारिती ने इस राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। हालांकि, हमने देखा कि **मैसर्स टीएनएसआईडीसीओ** औद्योगिक सम्पदा के विकास और रख-रखाव में लगा हुआ था जिसमें न्यूनतम सेवा प्रभार हेतु निजी भूमि भी शामिल है। वें विकसित भूमि की प्रत्यक्ष बिक्री, किशतों पर खरीदने, पट्टा किराया योजना और संग्रहीत संसाधन शुल्क के अलावा विपणन सहायता योजना के अंतर्गत कच्चे माल की आपूर्ति/बिक्री का कार्य भी करते हैं। चूंकि **मैसर्स**

टीएनएसआईडीसीओ ने वाणिज्यिक कार्यकलापों का उत्तरदायित्व लिया है तब निर्धारिती द्वारा छूट की प्राप्ति गलत है। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 1.50 करोड़ के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

बताए जाने पर (दिसम्बर 2014), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते समय बताया (मार्च 2015) कि कार्रवाई आरंभ की जा रही है।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.3 अन्य मामलें

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के क्रम सं. 12(ग) के अनुसार मुख्यतः वाणिज्य के अलावा उपयोग हेतु किए गए निर्माण या किसी अन्य मौलिक निर्माण कार्य के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर के उदग्रहण से छूट दी गई है।

5.3.1 हैदराबाद-॥ कमिश्नरी में **मैसर्स केएमवी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.** और **मैसर्स आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि इन निर्धारितियों ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान निजी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराई गई ₹ 39.61 करोड़ मूल्य की निर्माण सेवाओं पर गलत रूप से छूट प्राप्त की थी और सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (नवम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.3.2 दिल्ली-॥ कमिश्नरी में **मैसर्स भायना बिल्डर्स (पी) लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 के दौरान निजी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराई गई ₹ 9.25 करोड़ मूल्य की निर्माण सेवाओं पर गलत रूप से छूट प्राप्त की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 45.72 लाख के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (मई 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.3.3 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडए) (1 जुलाई 2012 से पूर्व) 'सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, यातायात टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों से संबंधित निर्माण कार्य अनुबंधों को छोड़कर निर्माण कार्य अनुबंध के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवा' के रूप में निर्माण कार्य अनुबंध के संबंध में करयोग्य सेवा को परिभाषित करती है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(91क) में परिभाषित "आवासीय कॉम्प्लेक्स" का अर्थ है, 12 आवासीय इकाइयों से अधिक वाली इमारत या इमारतों से बना कोई भी कॉम्प्लेक्स।

सलेम आयुक्तालय में **मैसर्स आर. आर. धुलासी बिल्डर्स** (1) प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने तमिलनाडु के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर के लिए 30 आवासीय निवास और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान त्रिची के लिए 48 आवासीय निवासों का निर्माण 2010-11 और 2011-12 में ₹ 25.34 करोड़ के लिए कार्य संविदा श्रेणी के तहत किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ एक करोड़ के सेवा कर का गैर करारोपण हुआ।

हमने इस पर ध्यान दिलाया (जनवरी 2015), विभाग ने (मार्च 2015) कहा कि दिनांक 29 जनवरी 2009 के परिपत्र के अनुसार छूट उपलब्ध है यदि निर्माण व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त छूट केवल तभी उपलब्ध है जब तक निर्माण में सम्मिलित इकाइयों की संख्या 12 से कम हैं।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी अपेक्षित है (जून 2015)।